



पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752 – 240712)

www.pssou.ac.in E-mail - registrar@pssou.ac.in

Ref. 36 /Reg. Office/2026

Bilaspur, Date: 29 /05/2026

Programme-wise Faculty Details for ODL for Bachelor of Education

Programme

Academic Session: August 2026-27

Bachelor of Education (B.Ed.)

S. No.	Name	Designation	Highest Qualification	Specialization	Appointment Date	Service Status
1	Dr. Beena Singh	Assistant Professor	Ph.D. (Education)	Education Philosophy	11.02.2016	Continuing till date
2	Dr. Anita Singh	Assistant Professor	Ph.D. (Education)	Education Psychology	11.02.2016	Continuing till date
3	Dr. Prakriti James	Assistant Professor	Ph.D. (Education)	Education Technology	11.02.2016	Continuing till date

The above-mentioned faculty members were appointed in 2016 as permanent faculty in the Education Department of the University and are still continuing in service till date. Therefore, their appointment and joining records remain valid for the proposed B.Ed. programme.


Registrar
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)



क्रं. 2308/प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनारक्षित वर्ग में विषय शिक्षा, सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600 – 39,100 +6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है –


क्रं.	नाम	पति का नाम
1.	डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह	प्रो. तीर्थेश्वर सिंह
2	डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स	श्री अमित जेम्स

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी –

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सवेदव)


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ.क्र. 2309 / प्रशा. / स्था. / 16,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 11 / 02 / 2016

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4.1. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह पति प्रो. तीर्थेश्वर सिंह, क्वार्टर नंबर - 5 बी, स्ट्रीट एन.पी.ए., सेक्टर-9, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490009
- 4.2. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स, पति श्री अमित जेम्स, ए- 15, शैलेन्द्र नगर, ग्राम अमेरी, बिलासपुर - 495001
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव

प्रति,

कुल सचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
कोनी बिरकोनामार्ग, ग्रा.पो. बिरकोना, बिलासपुर

विषय - आपका पत्र क्रमांक 2309/पत्रा./स्था./16 दिनांक 11/02/2016

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में आज दिनांक 11/02/2016 को अपरान्ह में, मैं डॉ.बीना सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) पदभार ग्रहण कर रही हूँ।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सधन्यवाद

B. Singh
11.2.16
(डॉ. बीना सिंह)

सहायक प्राध्यापक

कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय

भिलाई नगर (छ.ग.)

संलग्नक - महाविद्यालय का पत्र।

Email 5.25 P.M.
RUS
11.2.



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 175
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 643644 फ़ैक्स 424329, 213073
Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 23/0 /प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर डॉ. अनिता सिंह पिता डॉ. आर. डी. सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग में विषय शिक्षा, सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600 – 39,100 +6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।


2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी –

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।

क्रमशः – 02

- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सचेदव)

कुलसचिव


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, बिलासपुर


पृ.क्रं. 2311 / प्रशा./स्था./16,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक /02/2016

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. अनिता सिंह, हाउस नंबर 29/89, नारियल कोठी, दयालबंद, बिलासपुर - 495001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव



प्रति ,

कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय – सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर पदभार ग्रहण करने विशयक।

संदर्भ – वि.वि. का पत्र क्रमांक 2311/प्रशा./स्था/16, Bilaspur, Dated 11-02-2016

महोदय ,

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मै डा.अनिता सिंह आज दिनांक 11/02/2016 के अपरान्ह में

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ।

RMS
11.2.16
अपराह्ण

भवदीय
(डा.अनिता सिंह)
म.न.-29/89
नारियल कोठी
दयालबंद
बिलासपुर 495001 (छ.ग.)
Mo.No.-9827118808



क्र. 2308/प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अनारक्षित वर्ग में विषय शिक्षा, सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600 – 39,100 +6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर निम्नानुसार नियुक्त किया जाता है –


क्रं.	नाम	पति का नाम
1.	डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह	प्रो. तीर्थेश्वर सिंह
2	डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स	श्री अमित जेम्स

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी –

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानांतरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानांतरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सवेदव)

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ.क्र. 2309 / प्रशा. / स्था. / 16,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 11 / 02 / 2016

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4.1. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह पति प्रो. तीर्थेश्वर सिंह, क्वार्टर नंबर - 5 बी, स्ट्रीट एन.पी.ए., सेक्टर-9, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490009
- 4.2. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स, पति श्री अमित जेम्स, ए- 15, शैलेन्द्र नगर, ग्राम अमेरी, बिलासपुर - 495001
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव

प्रति ,

कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय – सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर पदभार ग्रहण करने विशयक।

संदर्भ – वि.वि. का पत्र क्रमांक 2309/प्रशा./स्था/16, Bilaspur, Dated 11-02-2016

महोदय ,

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मैं डा.प्रकृति जेम्स आज दिनांक 11/02/2016 के अपरान्ह में

सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ।

RMS
11.2.16
अपराह्न

भवदीय
Bawel 11/02/16
(डा.प्रकृति जेम्स)
ए-15, शैलेन्द्र नगर
ग्राम – अमेरी, बिलासपुर
बिलासपुर 495009 (छ.ग.)
Mo.No.-09993450848